तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1718** **भैरूराम बनाम उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान कुडी, एड. उपस्थित। वकील अपीलान्ट की बहस एडमिशन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व टीम व भू–प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पारित सीमाज्ञान आदेश दिनांक 09.09.2025 बाबत राजस्व ग्राम लिसाडिया के भूमि खसरा नम्बर 1527/2, 1528/2, 1529/2 व 1273/1530 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। राजस्व टीम व भू–प्रबन्ध टीम की संयुक्त टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान की अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	